



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-46/2023-24

सरकार

बनाम्

रहीम आलम

—: आदेश :—

दिनांक 1/11/23 सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला महागामा थाना काण्ड संख्या-112/2023 दिनांक-16.05.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-3104/अप0शा0 दिनांक-12.07.2023 से धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर मॉडल नं0-735FE, निबंधन सं0-BR10GB-7725, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर मॉडल नं0-735FE, निबंधन सं0-BR10GB-7725, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर मॉडल नं0-735FE, निबंधन सं0-BR10GB-7725, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त ट्रैक्टर मॉडल नं0-735FE, निबंधन सं0-BR10GB-7725, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक

અમાદખાનખ, ગોડડા
જિલ્લા વિધિ શાખા, ગોડડા

તારીખ:- 30.10.23

ડી. નં:- 179

પ્રતિલિપિ:- વાના સમાજી, મહેરમા કં
સૂચનાઈ લેં આગરખક કારીગર હેલુ
સંધિન

પ્રતિલિપિ:- જિલ્લા સ્થાનક હલો, ગોડડા/જિલ્લા
કરિવહન હલો, ગોડડા કં સૂચનાઈ
લેં આગરખક કારીગર હેલુ સંધિન

પ્રતિલિપિ:- પુલિસ અધીશક, ગોડડા કં સૂચનાઈ
લેં આગરખક કારીગર હેલુ સંધિન

પ્રતિલિપિ:- સ્થાનક જિલ્લા લેં સત્ર લખાયાલિ, ગોડડા
કં સૂચનાઈ સમધિન

પ્રભાસી વલ્લભસિંગ
જિલ્લા વિધિ શાખા
ગોડડા
30/10/23